न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रामसर का कूंआ

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
जवाराराम पुत्र मोतीराम जाति सुथार निवासी डुडियों की ढ़ाणी बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर		1.चुनाराम पुत्र मोतीराम 2 हेमा पुत्र पदमा 3 भीखा पुत्र हेमा 4 देवा पुत्र हेमा 5 पूंजा पुत्र हेमा 6 धाई पत्नी हेमा 7 चिमा पुत्र जगमाल 8 जेठाराम पुत्र जगमाल 9 वगताराम पुत्र जगमाल 10 दीपाराम पुत्र जगमाल 11 खंगाराराम पुत्र जगमाल 12 रामा पुत्र लच्छा जातियान सुथार निवासी रामसर का कुआ, बेरीवाला तला, तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–885/2018 **दिनांक–17.11.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामसर का कुंआ पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 992/724 रकबा 4.09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6368 – 6371 दिनांक– 17/11/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जवाराराम पुत्र मोतीराम जाति सुथार निवासी डुडियों की ढ़ाणी बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी चुनाराम पुत्र मोतीराम वगैराह जातियान सुथार निवासीयान रामसर का कुआ, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर

चूनाराम

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर